

# मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता (विकासखण्ड रुड़की के विशेष सन्दर्भ में)

शाईस्ता परवीन

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, हे.न.ब.ग.विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

## ARTICLE DETAILS

### Article History

Published Online: 16 Aug 2019

### Keywords

मुस्लिम महिलाएं, राजनैतिक जागरूकता, सहभागिता, रुड़की

### \*Corresponding Author

Email: pshaista14[at]gmail.com

## ABSTRACT

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में नयी लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनैतिक अधिकार मिलें। इस लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आए कि सभी वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता अनिवार्य है। क्योंकि अवसर मिलने पर महिलाएं राजनीतिक भूमिका का पूर्णतया निर्वहन कर सकती हैं। उनमें परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। प्रस्तुत शोध पत्र विकासखण्ड रुड़की की मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता के आंकलन पर केन्द्रित हैं। राजनीतिक सहभागिता मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता ही नहीं अपितु हक भी है जिसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास किये जाने चाहिये, तभी उनकी राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होगी। इस सन्दर्भ में विकासखण्ड रुड़की की 20 ग्राम पंचायतों की 10-10 मुस्लिम महिलाओं का चयन किया गया है तथा साक्षात्कार द्वारा उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी को सारणीकरत कर उसका प्रतिशत निकाल कर विश्लेषण किया गया है।

**प्रस्तावना** – मुस्लिमान भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, परन्तु भारत के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की तुलना में यह वर्ग आर्थिक स्तर पर सबसे निम्न, सामाजिक स्तर पर सबसे पिछड़ा व राजनीतिक स्तर पर हाशिए पर खड़ा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मुस्लिमों की दशा व दिशा का विश्लेषण किया जाए तो मुसलमानों की भागीदारी मात्रा वोट देने तक सीमित है। उनकी वोट देने के प्रति इतनी जागरूकता और सक्रियता ने उन्हें वोट बैंक के रूप में तब्दील कर दिया है, इस पर बंटी-बिखरी मुस्लिम राजनीति के कारण हालात आज भी बदतर हैं। यह मुसलमानों की विडम्बना ही कही जाएंगी कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी न तो उनका कोई राष्ट्रीय नेता जन्म नहीं ले सका और न ही उनके पास आधुनिक सोच वाले सामाजिक और धर्मिक नेतृत्व रहा है। यदि मुस्लिम महिलाओं की बात की जाये तो भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाएं अधिकांशतः पिछड़ी, असहाय और वंचित स्थिति में रही हैं। भारतीय राजनीति में भी मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता नगण्य रही है। वह तो केवल मतदाता के रूप में सहभागी है। नेतृत्व एवं प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम महिलाएँ अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी पिछड़ी नजर आती हैं। मुस्लिम महिलाओं का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और ना ही राजनीतिक दलों द्वारा इस दिशा में कोई सार्थक पहल की जा रही है। प्रथम लोकसभा में किसी भी मुस्लिम महिला ने बतौर उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ा। इसी प्रकार चतुर्थ, पंचम, नवीं, दसवीं, बारहवीं लोकसभाओं में कोई मुस्लिम महिला सांसद निर्वाचित नहीं हुई। वर्तमान 17वीं लोकसभा तक मात्र 24 मुस्लिम महिला सांसद निर्वाचित हुई है। जबकि प्रथम लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक लगभग 450 मुस्लिम

महिला सांसद निर्वाचित होनी चाहिए थी। चूंकि शोधकर्ती उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित है, यदि उत्तराखण्ड के सम्बन्ध देखा जाये तो वर्तमान लोकसभा या राज्यसभा तक कोई भी मुस्लिम महिला सांसद निर्वाचित नहीं हुई और न ही किसी विधानसभा में मुस्लिम महिला विधायक निर्वाचित हुई, जो मुस्लिम महिलाओं की दयनीय राजनीतिक सहभागिता को दर्शाता है।

भारतीय लोकतंत्र में भले ही राष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता नगण्य है, परंतु ग्राम पंचायत व जिला पंचायत में उनकी सहभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही है। 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन से प्राप्त आरक्षण के कारण महिलाओं को राजनीति में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 110वें एवं 112 वें संशोधन द्वारा पंचायतीयराज एवं नगरीय निकाय में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। जिससे न केवल अन्य वर्ग की महिलाएं बल्कि मुस्लिम महिलाएँ भी इस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ती द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि अध्ययनगत ग्राम पंचायतों में मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता का स्तर क्या है?

**अध्ययन का उद्देश्य** – विकासखण्ड रुड़की की मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता की वास्तविक स्थिति को जानना ही प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है।

**अध्ययन क्षेत्र** – प्रस्तुत शोध पत्र के कार्य सम्पादन हेतु प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए अध्ययन क्षेत्र हरिद्वार जिले के विकासखण्ड रुड़की का चयन किया गया है। शोधार्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में स्थित विकासखण्ड रुड़की की मुस्लिम महिलाओं को जनसंख्या के रूप में चुना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस विकास खण्ड की जनसंख्या 301268 है जिसमें 158879 पुरुष तथा 142389 महिलाएँ हैं। विकासखण्ड रुड़की में 59 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में से मुस्लिम बहुल ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

**अध्ययन पद्धति** – प्रस्तुत शोध पत्र में आंकड़े मुख्यतः प्राथमिक स्रोत से एकत्रित किए गए हैं। विकासखण्ड रुड़की की 20 ग्राम पंचायतों की 10-10 मुस्लिम महिलाओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर साक्षात्कार अनसुची के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी को सारणीकरत कर उसका प्रतिशत निकाल कर विश्लेषण किया गया है। राजनितिक जागरूकता व सहभागिता की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु द्वितीयक स्रोत का भी उपयोग किया गया है।

**राजनैतिक सहभागिता**— निम्न तालिकाओं के माध्यम से अध्ययनगत ग्रामों में मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

तालिका सं0 1— मतदाता के रूप में सहभागिता

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	193	96.50
2	नहीं	2	1.00
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	5	2.50
योग		200	100

लोकतंत्रा प्रणाली में जनता मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर अपनी राजनीतिक सहभागिता निभाती है तथा इस हेतु वे मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है, इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मुस्लिम महिलाएँ आम चुनावों में मतदान को अपना कर्तव्य मानती हैं। उपरोक्त तालिका सं0 1 से स्पष्ट है कि 96.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ आम चुनावों में मतदाता के रूप में सहभागी हैं।

तालिका सं0 2— प्रतिनिधी के रूप में सहभागिता

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	33	16.50
2	नहीं	157	78.50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	10	5.00
योग		200	100

उपरोक्त तालिका सं0 2 से स्पष्ट है कि 78.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ प्रतिनिधी के रूप में सहभागी नहीं है। केवल 16.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ प्रतिनिधी के रूप में सहभागी है। 5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। 78.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि वे स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ सकती, वे राजनीति को पुरुष का ही कार्य क्षेत्र मानती है।

तालिका सं0 3— राजनैतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में सहभागिता

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	10	5
2	नहीं	170	85
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	20	10
योग		200	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 85 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ किसी भी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में सहभागी नहीं है। इन महिलाओं का मानना है कि राजनीति में सक्रिय होने के लिए पर्दा त्यागना आवश्यक है। मात्र 5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ ही किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में सहभागी है। इन मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि पर्दे में रह कर भी राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सहभागी हो सकती है।

तालिका सं0 4— राजनैतिक आन्दोलन में सहभागिता

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	15	7.50
2	नहीं	173	86.50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	12	6.00
योग		200	100

परिवारिक बाध्यता, अशिक्षा, गरीबी व राजनीतिक माहौल की कमी आदि मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। वस्तुतः 86.5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ राजनीतिक आन्दोलनों में सहभागी नहीं होती हैं। केवल 7.5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ ही राजनैतिक आन्दोलन में सहभागी है।

तालिका सं0 5— राजनैतिक गतिविधियों में सहभागिता

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	13	6.50
2	नहीं	171	85.50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	16	8
योग		200	100

मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता नगण्य रहती है। 85.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने चुनाव प्रचार, राजनैतिक रैलियों या सभाओं में भाग लेने के सन्दर्भ में असहमति व्यक्त की है। इन महिलाओं का यह भी मानना है

कि अधिकतर मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य या पदाधिकारी नहीं हैं या पर्दा व पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं के कारण वह राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती हैं। केवल 6.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने मानना है कि वे राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं।

**राजनैतिक जागरूकता**— प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत विकासखण्ड रुड़की में मुस्लिम महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता का अध्ययन निम्न तालिकाओं द्वारा किया गया है।

तालिका सं० 6— प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता

क्र० सं०	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	5	2.5
2	नहीं	190	95
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	5	2.5
योग		200	100

उपरोक्त तालिका सं० 6 से स्पष्ट है कि 95 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ उम्मीदवार चुनने के लिए जागरूक नहीं हैं। मुस्लिम महिलाओं पर दल विशेष का प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगत होता है। वस्तुतः उम्मीदवार के तौर पर महिलाएँ किसी विशेष दल को प्राथमिकता देती हैं, या उन्हीं उम्मीदवारों को मत देती हैं जिन्हें उनके पति या पिता अपना मत देते हैं। तालिका सं० 1 से स्पष्ट है कि मुस्लिम महिलाएँ मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेती हैं, अतः वे केवल मतदान करने के लिए ही जागरूक हैं।

तालिका सं० 7— राजनैतिक नेतृत्व की आवश्यकता

क्र० सं०	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	165	82.50
2	नहीं	15	7.50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	20	10
योग		200	100

82.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि उन्हें महिला राजनैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनकी दशा व दिशा दोनों को समझ सके। उनका मानना है कि अधिकतर मुस्लिम महिलाएँ अपनी सामाजिक पहचान को लेकर ही संघर्षरत हैं। 7.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि उन्हें महिला राजनैतिक नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी सामाजिक व राजनैतिक स्थिति के लिए स्वयं प्रयास करने होंगे। 10 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

तालिका सं० 8— राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक जानकारी

क्र० सं०	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	30	15
2	नहीं	140	70
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	30	15
योग		200	100

प्रत्येक नागरिक हेतु राजनैतिक व्यवस्था का ज्ञान अति आवश्यक है क्योंकि राजनैतिक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के राजनैतिक विकास का दर्पण होती है। किन्तु तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाओं में भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता का स्तर निम्न है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मात्र 15 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ भारतीय राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था की जानकारी रखती हैं। इससे सम्बंधित प्रश्न पुछने पर ज्ञात हुआ कि वे केवल इतना जानकारी रखती हैं कि केन्द्र में किस दल की सरकार है। 15 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जबकि 70 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ भारतीय राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था की जानकारी नहीं रखती हैं। वे यु० पी० ए० या एन० डी० ए० गठबन्धन क्या है, की जानकारी भी नहीं रखती हैं।

तालिका सं० 9— राज्य स्तर पर राजनैतिक जानकारी

क्र० सं०	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	70	35
2	नहीं	100	50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	30	15
योग		200	100

राज्य स्तर पर भी मुस्लिम महिलाओं में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति ज्ञान की स्थिति ज्यादा सकारात्मक नहीं है, मात्रा 35 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ ही राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान रखती हैं। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी रखने वाली महिलाओं इन 35 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने विभिन्न उत्तरों द्वारा अपनी जागरूकता के स्तर को प्रकट किया है

तालिका सं० 10— पंचायत स्तर पर राजनैतिक जानकारी

क्र० सं०	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	80	40
2	नहीं	100	50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	20	10
योग		200	100

40 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ ही पंचायत व्यवस्था का ज्ञान रखती हैं तथा वे 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन से प्राप्त आरक्षण आदि की जानकारी रखती हैं। 50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि वे आरक्षण सम्बंधित जानकारी नहीं रखती हैं। इस दौरान शोधकर्ता द्वारा एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व काने वाली अधिकतर मुस्लिम महिलाएँ अशिक्षित थी तथा उन्हें शासन व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी नहीं थी।

तालिका सं० 11— केन्द्रीय या राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी

क्र० सं०	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	40	20

2	नहीं	140	70
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	20	10
योग		200	100

70 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि वे केन्द्रीय या राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जानकारी नहीं रखती है। उदाहरणतः वे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, सुकन्या धन योजना आदि की जानकारी भी नहीं रखती है। 30 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि वे केन्द्रीय या राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी रखती है तथा वे इसका लाभ भी ले रही है।

तालिका सं0 12- चुनावी चर्चा में भागीदारी

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	160	80
2	नहीं	30	15
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	10	05
योग		200	100

राजनीति प्रायः प्रत्येक नागरिक की रुचि का क्षेत्र होता है हालांकि रुचि की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है परन्तु यह मुस्लिम महिलाओं की बिडम्बना ही कही जाएगी की वे राजनीतिक क्षेत्रों के प्रति उदासीन हैं। अशिक्षा तथा निम्न जागरूकता के कारण 80 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएँ चुनावी मुद्दों पर चर्चा नहीं करती हैं। चूंकि चुनावों के समय ही राजनीतिक मुद्दों को हवा मिलती है, अतः 15 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने माना कि चुनावों के समय ही अपने परिवार व मित्रों से चुनावी मुद्दों पर चर्चा करती हैं। किसी भी प्रश्न पर स्पष्ट राय प्रकट करने के लिए ज्ञान व आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है, अशिक्षा व पर्दा आदि के कारण मुस्लिम महिलाओं में आत्मविश्वास का अभाव है, जिसके कारण मुस्लिम महिलाएँ राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय प्रकट नहीं करती है।

भारतीय लोकतंत्र में भले ही राष्ट्रीय राजनीति में मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता नगण्य है, परंतु 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन से प्राप्त आरक्षण के कारण मुस्लिम महिलाओं की ग्राम पंचायत व जिला पंचायत में सहभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही है। इस सन्दर्भ में मुस्लिम महिलाओं की राय जानने का प्रयास किया गया जो निम्न तालिकाओं में है।

तालिका सं0 13- पुरुष वर्चस्व का कम होना

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	21	10.50
2	नहीं	169	84.50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	10	5.00
योग		200	100

10.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि पंचायत व्यवस्था में महिला भागीदारी में वृद्धि से पुरुषों का वर्चस्व अब कम हो रहा है। जबकि 84.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं के अनुसार पुरुष वर्चस्व अभी भी बना हुआ है। इन महिलाओं का मानना था यदि कोई महिला राजनैतिक पद पर निर्वाचित होती है तो उसके सभी निर्णय उसके पति या पिता लेता है, वह स्वयं रबर-स्टैम्प की भांति कार्य करती है।

तालिका सं0 14- राजनैतिक पद की प्राप्ति

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	61	30.50
2	नहीं	121	60.50
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	18	9.00
योग		200	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 30.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में अब महिलाओं को भी राजनीतिक पद प्राप्त होने लगे हैं। यदि वह पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित होती है तो उनको भी राजनीतिक पद प्राप्त होता है। जबकि 60.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि उन्हें राजनीतिक पद प्राप्त नहीं होता है। 9 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

तालिका सं0 15 - महिला सहभागिता में आरक्षण का लाभ

क्र0 सं0	प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	163	81.50
2	नहीं	12	6.00
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	25	12.50
योग		200	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार 81.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि पंचायती राज में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के कारण ही उनकी भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ी है। मात्र 6 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने आरक्षण के लाभ को अस्वीकार किया। जबकि 12.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

तालिका सं0 16- आरक्षण के कारण होने वाले परिवर्तन का लाभ

क्र0 सं0	आरक्षण के कारण परिवर्तन	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पूर्णतया परिवर्तन	10	3.00
2	कुछ हद तक परिवर्तन	125	64.50
3	काफी हद तक परिवर्तन	50	25
4	कोई परिवर्तन नहीं	15	7.50
योग		200	100

उपरोक्त तालिका में आरक्षण से मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों में परिवर्तन का स्तर कैसा है, इसे ज्ञात किया गया। जहाँ 64.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि कुछ हद तक परिवर्तन आया है, वहीं 25 प्रतिशत ने का मानना था कि बहुत हद तक

परिवर्तन आया है। 7.5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल 3 प्रतिशत ने ऐसा स्वीकार किया कि पूर्णतः परिवर्तन हुआ है। अतः तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि महिला प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, परंतु महिलाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही हैं तथा पुरुषों का हस्तक्षेप अभी भी बना हुआ है।

**निष्कर्ष** – हरिद्वार जिले के विकासखंड रूड़की की 20 ग्राम पंचायतों की 10-10 मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता व सहभागिता का अध्ययन किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण मुस्लिम महिलाएं यह समझने लगी हैं कि राजनीति में उनकी भागीदारी से समूह व समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी लेकिन जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को पसंद नहीं करती उनका कहना है कि राजनैतिक माहौल अच्छा नहीं होता एवं राजनीति पुरुषों का कार्य क्षेत्र है, इसलिए महिलाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए।

निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि महिलाओं की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है। महिलाओं को प्राप्त आरक्षण के कारण उनकी राजनीति में सहभागिता एवं जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। पूर्णतः नहीं किंतु कुछ हद तक परिवर्तन अवश्य आया है। ग्राम पंचायत में महिला भागीदारी के बढ़ने से जहाँ राजनीति पुरुषों का अधिकार क्षेत्र था वहाँ अब महिलाएं भी अपना प्रभाव धीरे-धीरे दिखाने लगीं हैं। राजनीतिक प्रस्थिति में वृद्धि से उसकी सामाजिक प्रस्थिति भी प्रभावित हो रही है।

ग्राम पंचायतों में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित महिला जनप्रतिनिधियों को अब बाह्य परिवेश का ज्ञान होने लगा है। बार-बार सभाओं व बैठकों में शामिल होने के कारण उनका संकोच कम हो रहा है तथा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आरक्षण से मुस्लिम महिलाओं में परिवर्तन तो आया है, किंतु परिवर्तन का लाभ उतना नहीं है, जितना मिलना चाहिए। वे अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। पुरुषों का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है।

#### संदर्भ सूची –

- 1- काजी, सीमा, मुस्लिम वूमन इन इण्डिया (रिपोर्ट), अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार समूह, 8 मार्च, 1999
- 2- सिसोदिया, यतेद्रं सिंह, पंचायतीराज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000
- 3- आगा, जफर, मुसलमान बनाम आधुनिकता, द संडे इंडियन, 13-26 दिसम्बर, 2010
- 4- शाह, रवीन्द्र, जन्त का जो वादा था, आज भी अधूरा है, आउटलुक, नवम्बर-2011
- 5- भौरादिया, रूपाली, भारत में महिला की राजनीतिक सहभागिता : एक विश्लेषण, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2013
- 6- अग्रवाल, सुनीता, ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता, शोध मंथन, दिस0, 2017